Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).**

**[Land Dispute Appeal Case No.- 50/2025]**

Raj kumar mehta and Anr.....Appellant

Versus

Puneet mahto and Ors .....Respondents.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **01.3.2026** | **आदेश**<br>यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-12/2024-25 में दिनांक-30.8.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।<br>प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :- | |

| अंचल | मौजा/थाना नं0 | खाता सं. | खेसरा सं. | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| सोनवर्षा | मौरा/60 | 104 | 911 | 09 डी. |

दिनांक-13.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी एवं राज्य का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन (खाता संख्या-104 अन्तर्गत खेसरा संख्या -911) भागवत महतो के पुत्र पुनीत मेहता व नन्दलाल मेहता, बन्देलाल मेहता व सत्यनारायण मेहता, पिता-स्व. प्रताप मेहता एवं अल्पवयस्क भाई विलाल मेहता के अभिभावक स्वरूप निबंधित बिक्रय पत्र दस्तावेज द्वारा दिनांक 30.8.1977 को रामखेलावन मेहता, पिता-अनुपलाल मेहता को प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि रामखेलावन मेहता के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर मेहता व कुमार मेहता द्वारा वर्ष 2014 में सीताराम मेहता सहित अन्य के साथ श्रीमती सुमित्रा देवी को बिक्रय कर दिया गया। तथा यह कि वादी राजकुमार मेहता और बलराम मेहता सुमित्रा देवी के पुत्र है। उनका कहना है कि विपक्षी द्वारा वर्ष 1977 में ही प्रश्नगत जमीन बिक्री कर दिया गया हैं। किन्तु उनके द्वारा निम्न न्यायालय में बिक्री की बात को छिपा कर आधा हिस्सा नन्दलाल महतो और आधा हिस्सा पुनीत महतो के नाम होने का दावा कर दिया गया। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि खाता संख्या-104 अन्तर्गत खेसरा संख्या-911 कुल रकवा 18 डी. जमीन हाल सर्वे खतियान में भागवत महतो, पिता-राम महतो के नाम से अंकित है। तथा जमाबंदी संख्या-104 भागवत महतो के नाम से कायम है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत भागवत महतो के मृत्यु के उपरांत उनके दो पुत्र पुनीत महतो एवं नन्दलाल महतो हकदार एवं दखलकार हुये। तथा यह कि प्रश्नगत खाता खेसरा के 18 डी. जमीन में से 9 डी. जमीन पुनीत महतो के भाई नन्दलाल महतो के पुत्र राज कुमार मेहता द्वारा केवाला के माध्यम से सीताराम महतो बगैरह को बेच दिया गया तथा सीताराम बगैरह के नाम से जमाबंदी कायम हुआ। उनका कहना है कि शेष 9 डी. जमीन पर पुनीत महतो हकदार व दखलकार चलते आ रहे हैं। तथा यह कि इस 9 डी. जमीन की जमाबंदी अभी भी उनके पिता भागवत महतो के नाम पर कायम है। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा यह गलत दावा किया जा रहा है कि भागवत महतो के पुत्र पुनीत मेहता व नन्दलाल मेहता, बन्देलाल मेहता व सत्यनारायण मेहता, पिता-स्व. प्रताप मेहता एवं अल्पवयस्क भाई विलाल मेहता के अभिभावक स्वरूप निबंधित विक्रय पत्र दस्तावेज द्वारा दिनांक 30.8.1977 को रामखेलावन मेहता पिता अनुपलाल मेहता को बिक्री कर दिया गया। तथा उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया हैं।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 01.3.2026 | Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर वर्ष 1977 के केवाला से रामखेलावन महतो को तथा वर्ष 2014 के दरकेवाला के माध्यम से रामखेलावन मेहता से उनके माता को प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन के खतियान में उनके पिता के नाम दर्ज होने तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम होने के आधार पर दावा किया जा रहा। कागजातों के आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि उभय पक्ष द्वारा विभिन्न राजस्व कागजातों के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर अपना-अपना दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय के स्तर से इस विवाद के संदर्भ में संगत कानूनी बिन्दुओं की समीक्षा किये बिना तथा विपक्षी को सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है।<br><br>अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई करते हुए सकारण विनिश्चिय से मामले का निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय के स्तर से निर्णीत होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख एवं सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br><br>आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।<br><br>01/3/26.<br>आयुक्त,<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा।<br><br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>01/3/26.<br>आयुक्त,<br>कोशी प्रमंडल, सहरसा। | |